कार्यालय मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

पत्रांक : 27/12 / चार (भ० नियंत्रण) दिनांक: 28-03-2014

मेरठ विकास प्राधिकरण भवन नियन्त्रण अनुभाग 695/12

श्री/श्रीमती/मैसर्स गेटवे ग्रो प्रो बिल्ड वैल प्रा० लि०
द्वारा डायरेक्टर श्री अजय ग्रोवर
नि०- C/115, भगवान गंज मण्डी, जि० गाजियाबाद।

आपके पत्र दिनांक 29/09/12 मानचित्र सं० तलपट भा०स०/27/12 के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित तलपट भवन निर्माण को मौहल्ला/कालोनी/ग्राम गोकलीवा, पल्ला-पली, गेधूपुर मेरठ भूखण्ड/भवन सं० ख०सं० 619, 621, 622, 623, 1258, 1260, 1262/1, 1262/2 पर निम्नलिखित शर्तो के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है। उपरोक्त स्वीकृति उ०प्र० नगर नियोजन एवम् विकास अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पाँच वर्ष तक वैद्य है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा अन्य किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नही होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के आधीन दण्डनीय है।
4. उ०प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपर्युक्त नही होगा वहा प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नही होगी। प्रदर्शित करना
6. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।
7. आप भवन उप-नियमों के नियम 21 में अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप-नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।

प्र.10 प्राधिकरण के अध्यासन (औकूपैन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ओकूयपायी) करेगें।

प्र.11 उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर या कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

सलंगनक:- स्वीकृत मानचित्र की प्रति।

प्रतिलिपि:- अवर अभियन्ता क्षेत्रीय जोन-डी को प्रेषित।

मुख्य नगर नियोजक,
~~प्रभारी मानचित्र~~
जोन (डी)
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ